



अनुलग्नक II

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति द्वारा वचन पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति और लिखने में कठिनाई हो रही है

मैं \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) के साथ एक उम्मीदवार \_\_\_\_\_ (परीक्षा का नाम) के लिए उपस्थित हो रहा/रही हूं, जिसमें रोल नंबर \_\_\_\_\_ है, जो \_\_\_\_\_ राज्य, (राज्य का नाम) के \_\_\_\_\_ जिले में (केंद्र का नाम) है। मेरी शैक्षिक अर्हता \_\_\_\_\_ है।

2. मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि \_\_\_\_\_ (स्क्राइब का नाम) उपर्युक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए लेखन सहायक की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद्वारा वचन देता/देती हूं कि उसकी अर्हता \_\_\_\_\_ है। यदि, बाद में यह पाया जाता है कि उसकी अर्हता अधोहस्ताक्षरी द्वारा किए गए घोषणा के अनुरूप नहीं है और मेरी अर्हता से अधिक है। मैं इस पद या प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा/दूंगी।।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(यदि उम्मीदवार अवयस्क है तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक: